न्यायालय तहसीलदार, रानीवाडा जिला जालोर

सायल | **बनाम** | **गैर सायल**

पटवारी हल्का आखराड

गलबा पुत्र सवा कौम
कलबी साकिन आखराड

अन्तर्गत आर.एल.आर. एक्ट 1956 की धारा 91

मु.नं. – 01/2020 *निर्णय दिनांक – 23/07/2020*

पत्रावली आज पेश हुई।

गैर सायल हाजिर होकर उक्त सरकारी भूमि पर अतिक्रमण करना स्वीकार किया गया। व मौजा आखराड खसरा नम्बर 27 किस्म गै.मु नाला पर कब्जाकर अरडी काश्त करना भी स्वीकार किया गया। गैर सायल द्वारा अतिक्रमण बाबत कोई सबूत या अन्य ठोसदस्तावेज प्रस्तुत नही किया न करना चाहते है अतः गैर सायल की शहादत बंद की जाती है इससे स्पष्ट है कि अतिक्रमण कर कब्जा कर काश्त कर रहा है।

अतः गैर सायल को राज. भू. राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत इस वर्ष का अतिक्रमी घोषित किया जाकर बेदखली का आदेश दिया जाता है। गैर सायल दोषी पाया जाने से बतौर जुर्माना दर 1/– का 50 गुणा के हिसाब से रूपये 50 अक्षरे पच्चास रूपये किया जाता है।

भू–अभिलेख निरीक्षक मालवाडा/पटवारी आखराड को अतिक्रमण भूमि पर अरडी काश्त जो जब्त शुदा निलामी की जावें तथा बेदखली व जुर्माना हेतू पटवारी को अधिकृत किया जाता है। जुर्माना राशि वसूलकर पालना रिपोर्ट इस न्यायालय को प्रस्तुत करें। तहसील राजस्व लेखाकार मांग कायमी का इंन्द्राज रजिस्टर 'घ' में दर्ज करें।

पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

निर्णय आज दिनांक 23/07/2020 सरे इजलास सुनाया गया।

तहसीलदार, रानीवाड़ा

पत्रावली

Scanned by CamScanner